



माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय
(मध्यप्रदेश विधानसभा के अधिनियम क्रमांक 15, 1990 द्वारा स्थापित)
MAKHANLAL CHATURVEDI NATIONAL UNIVERSITY OF JOURNALISM & COMMUNICATION
(Setup by Act No. 15, 1990 of M.P. Legislative Assembly)



क्रमांक/सं.अ.सं.वि./३१७.../2020

दिनांक 04-12-2020

परिपत्र

संबद्ध अध्ययन संस्थाओं में आंतरिक मूल्यांकन परीक्षा आयोजन संबंधी निर्देश

विश्वविद्यालय की समस्त संबद्ध अध्ययन संस्थाओं में वर्तमान सत्र 2020-21 हेतु प्रथम आंतरिक मूल्यांकन परीक्षा का आयोजन निम्नानुसार किया जाएगा :-

1. विश्वविद्यालय द्वारा सत्र अगस्त, 2020-21 हेतु जारी अकादमिक कैलेंडर क्रमांक/अका. /2020/1037 दि. 05.11.2020 में उल्लेखित तिथियों में आंतरिक मूल्यांकन परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। उक्त अकादमिक कैलेंडर विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर उपलब्ध है।
2. वर्तमान कोविड-19 की परिस्थिति के चलते शासन द्वारा जारी निर्देशों के तारतम्य में उक्त परीक्षाएं ऑनलाईन माध्यम से ही आयोजित की जाएंगी।
3. समस्त पाठ्यक्रमों के विषय आधारित आंतरिक मूल्यांकन परीक्षा हेतु समस्त अध्ययन संस्थाओं में अध्यापन कार्य करवा रहे विषय शिक्षक, प्रश्न पत्र ई-मेल/अन्य सुविधाजनक माध्यमों के द्वारा निर्धारित तिथि पर प्रत्येक विद्यार्थी को उपलब्ध करायेंगे। आंतरिक मूल्यांकन परीक्षा में अधिकांश प्रश्न विप्लेशनात्मक पूछे जा सकते हैं।
4. निर्धारित तिथि पर विद्यार्थी प्रश्न पत्रों के आधार पर अपने निवास स्थान पर उत्तर पुस्तिका में स्वःहस्ते उत्तर लिखेंगे। उत्तर पुस्तिका के लिए रजिस्टर के ए-4 आकार के पृष्ठों का उपयोग करें।
5. विद्यार्थी उत्तर पुस्तिका के प्रत्येक लिखित पृष्ठ पर अपने हस्ताक्षर कर उत्तर पुस्तिका को स्कैन कर ई-मेल अथवा स्पीड पोस्ट के माध्यम से अपनी संबद्ध अध्ययन संस्था में प्रेषित करेंगे।
6. संबद्ध अध्ययन संस्था उपरोक्तानुसार प्राप्त उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कर विद्यार्थी द्वारा अर्जित विषयवार अंक पूर्ववत ऑनलाईन लिंक पर अपलोड करेंगे।

सभी संबद्ध अध्ययन संस्थाएं आंतरिक मूल्यांकन परीक्षा के अंक यथा समय अपलोड करना सुनिश्चित करें।

(प्रो. (डॉ.) अविनाश वाजपेयी)

कुलसचिव

भोपाल, दिनांक 04-12-2020

पृ. क्र. सं.अ.सं.वि./क्रमांक/५००/2020
प्रतिलिपि :-

1. निदेशक, ए.एस.आई., मा.च.रा.प.सं.वि.वि., भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. परीक्षा नियंत्रक, मा.च.रा.प.सं.वि.वि., भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. प्रगारी वेबसाईट संधारण मा.च.रा.प.सं.वि.वि., भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

(प्रो. (डॉ.) अविनाश वाजपेयी)

कुलसचिव